

परियोजना का नाम :- पोखरी - हरिश्चंकर सेला मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमलासू
तहसील पोखरी, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

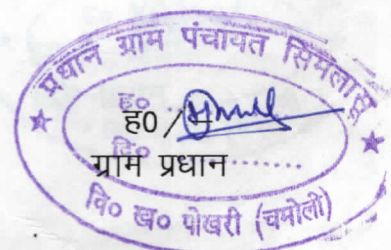
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत परियोजना
के निर्माण हेतु (हे० आरक्षित वन भूमि, 1.120 हे० सिविल सोयम भूमि एवं अन्य प्रयोजन हेतु
वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 1.180 हे० वन भूमि का ८०. नि. वि. ०.०६० हे० सिविल भूमि
जोचर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त करण के विषय में ग्राम पंचायत सिमलासू द्वारा दिनांक 22.11.19 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम सिमलासू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
कुल 1.180 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ गोला
ग्राम सचिव/अधिकारी
16.11.19
पोखरी चमोली



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

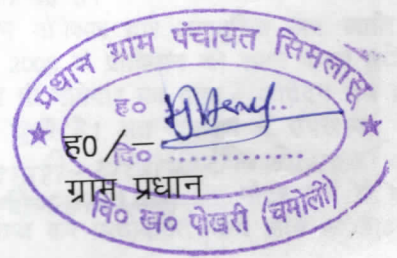
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 22.1.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमलांस

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	मोहन सिंह	मोहन सिंह
	दशरथ सिंह	दशरथ सिंह
	रघुवीर सिंह	Ramvir
	नरेश सिंह	नरेश सिंह
	बलराम सिंह	बलराम सिंह
	यशवन्त सिंह	यशवन्त सिंह
	विजयपाल सिंह	विजयपाल सिंह
	उमराव सिंह	उमराव सिंह
	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
	अनिल सिंह	अनिल सिंह
	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
	दशरथ सिंह	दशरथ सिंह
	विजयपाल सिंह	विजयपाल सिंह
	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह



परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत ~~पोखरी-हरिद्वार-रौता मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:120 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0:060 हे० कुल 1:180 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~पोखरी-हरिद्वार-रौता मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:120 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0:060 हे० कुल 1:180 हे० (सिविल भूमि) का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जन जाति अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील पोखरी) की दिनांक 2.5.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मा० सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री योगेन्द्र सिंह	उप जिलाधिकारी --अध्यक्ष	4/5/2015
2	श्री कुन्दन सिंह राणा	उप प्रभागीय वनाधिकारी-सदस्य वन क्षेत्राधिकारी-नागनाथ	
3	श्री वी.एम.उलहास	सहायक समाज कल्याण अधिकारी / ए० बी० डी० ओ० - सदस्य/सचिव वन क्षेत्राधिकारी-पोखरी	
4	श्री प्रदीप लेखेड़ा	क्षेत्र पंचायत सदस्य- सदस्य	
5	श्रीमती प्रभा देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य- सदस्य	
6	श्रीमती सरोजनी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य- सदस्य	

उप खण्ड सचिव द्वारा मा० सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि ~~पोखरी-हरिद्वार-रौता मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:180 हे० सिविल भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व समिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से मा० सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~पोखरी-हरिद्वार-रौता मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:180 हे० सिविल भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील पोखरी जनपद चमोली

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील पोखरी जनपद चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated 15-5-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.180 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road From "Pokhari-Harisanker-Chondi-rota motor road to Simlasu" in Chamoli district falls within jurisdiction, Simlasu village (s) in Pokhari tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.180 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Simlasu' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Euel: As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 15.5.2015 at time 11.00 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.407 hect for the construction of "Pokhari-Harisanker-Chondi-Rota motor road to Simlasu motor road" and forest land 1.180 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 15.5.2015

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
चमोली